PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

**Navbharat Times, Delhi**
**Wednesday 8th January 2014, Page: 9**
**Width: 8.31 cms, Height: 8.72 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-08.33.59**

# दर्द की दवा से हटेगा बैन

■ वस, नई दिल्ली

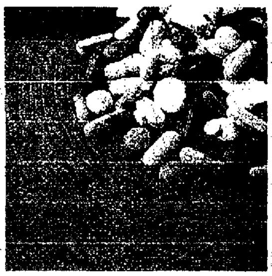

सरकार ने दर्द की दवा डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफेन पर लगा बैन हटाने का फैसला किया है। इसे अब सिर्फ कैंसर पेशंट्स को दर्द से राहत के लिए दिया जा सकेगा। इस दवा पर करीब छह महीने, इसे सेहत के लिए खतरनाक मानते हुए बैन लगा दिया गया था। डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफेन पर रोक लगाए जाने का आधार इस पर अमेरिका में बैन लगना बताया गया था। अमेरिका ने अक्टूबर 2010 में इस पर बैन लगा दिया था।

सरकार के इस फैसले का विरोध होने पर हाल में ड्रग टेक्निकल अडवाइजरी बोर्ड ने पूरे मामले पर विचार किया। उसने सरकार से कहा कि इस दवा को कैंसर पेशंट्स को दिए जाने पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यह कैंसर के दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभाती है। बोर्ड ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कैंसर पेशंट्स को भी 24 घंटे में इसकी 300 एमजी से ज्यादा मात्रा नहीं देनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि इस दवा पर से जल्द ही बैन हटने के संकेत हैं।

16.1.14

TO, NIC